सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 78 चैत्र 12, गुरुवार, शाके 1948– अप्रेल 2, 2026 अंक 1
Vol. 78 Chaitra 12, Thursday, Saka 1948–April 2, 2026 No. 1

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एक. 1/12/एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में)

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता युवराज स्वामी (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व राज कुमार स्वामी (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो सहायक लेखाधिकारी ग्रेड –II (सबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में उपनिदेशक महिला एवं बास विकास विभाग– चूरू (स्थान जहां से राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम राजकुमार उपनाम स्वामी को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम युवराज तथा उपनाम स्वामी ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व नाम राज कुमार स्वामी से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये नाम युवराज स्वामी द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रो प्रलेखो एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम राज कुमार स्वामी तथा उपनाम स्वामी के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में युवराज नाम के रूप में तथा स्वामी उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम युवराज उपनाम स्वामी के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम राज कुमार स्वामी तथा युवराज स्वामी का वर्णन किया है तथा दिनांक 06.03.2026 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम युवराज स्वामी द्वारा जो पूर्व में राज कुमार स्वामी कहलाता था, हस्ताक्षर किये है।

YUVRAJ SWAMI
हस्ताक्षर

साक्षी :–
1. निखिल कुमार महर्षि
2. सुमन स्वामी

नया नाम : युवराज स्वामी (YUVRAJ SWAMI)
पुराना नाम : राज कुमार स्वामी (RAJ KUMAR SWAMI)

प्रतिहस्ताक्षर
DR. NARENDRA SINGH SHEKAHWAT
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
चूरू (राज.)।

37156

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।